



सांध्य दैनिक 4PM



एक अच्छी तरह से बिताया दिन सुखद नींद लेकर आता है।

-लिओनार्दो दा विंची



जिद...सच की

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_Sanjay YouTube 4pm NEWS NETWORK

वर्ष: 9 • अंक: 272 • पृष्ठ: 8 • लखनऊ, गुरुवार, 9 नवम्बर, 2023

शुभमन गिल बने नंबर-वन... 7 आखिर क्यों हर साल इसी समय... 3 डीपीसीसी प्रदूषण रोकने में नहीं... 2

विधानसभा चुनावों के प्रचार में आई तेजी, हमले जारी

राहुल-प्रियंका ने जमकर मोदी सरकार पर साधा निशाना

- » बोले - चारों तरफ निराशा ही निराशा
- » देश में सिर्फ एक जाति गरीब, तो पीएम खुद को क्यों कहते हैं ओबीसी : राहुल
- » देश प्यारा तभी होता है, जब जनता प्यारी होती है : महासचिव कांग्रेस
- » एक-एक वोट से बनेगा देश का भविष्य : मोदी



हमें जिताएं फकीर से छुटकारा मिलेगा : प्रियंका

प्रियंका गांधी आज चित्रकूट के दौर पर हैं। उन्होंने यहां कांग्रेस प्रत्याशी नीलाशु चतुर्वेदी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि जब गांधी जी को गोली लगी उन्होंने हे राम कहा, क्योंकि उनका जीवन उन्हीं उसूलों पर टिका था। उन्हीं की परंपराओं से कांग्रेस पार्टी बनी है। आजादी के लिए लड़े हैं खून बहाया है। मेरे पिता ने, मेरी दादी ने बहाया है। देश प्यारा तभी होता है, जब जनता प्यारी होती है। प्रियंका ने कहा कि हमें भारी बहुमत से जिताओ ताकि हमारी सरकार को कोई चोरी न कर पाए। आपको फकीरों और मामा जी से छुटकारा मिले।

पर हैं। प्रियंका चित्रकूट में हैं। राहुल गांधी कांग्रेस सांसद रोड शो भी करेंगे। उधर पीएम चंदेरी और अशोकनगर का दौरा कर रहे हैं।

कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल व प्रियंका गांधी ने जमकर भाजपा व मोदी सरकार को घेरा है। जहां राहुल ने कहा है पीएम सबकुछ आने मित्रों को बांट रहे हैं तो कांग्रेस की महासचिव ने कहा है देश तब ही प्यारा होता है जब जनता प्यारी होती है। पीएम ने कांग्रेस को कोसते हुए कहा कि इन्होंने 70 साल से देश के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और पूछा कि वह खुद को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में क्यों बताते रहते हैं जबकि प्रधानमंत्री भारत में जिस एकमात्र जाति को गरीब मानते हैं। छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि पीएम मोदी हर भाषण में कहते हैं, मैं ओबीसी हूँ। लेकिन जब मैं जाति जनगणना के बारे में बात करता हूँ, तो वे कहते हैं कि भारत में कोई जाति नहीं है। भारत में केवल एक ही जाति है- गरीब। राहुल ने पूछा कि मोदी जी, अगर देश में

कांग्रेस के पास विकास का कोई रोडमैप नहीं है : मोदी



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोगों से कहा कि आपका एक वोट भाजपा को मध्य प्रदेश में सरकार बनाने, दिल्ली में मोदी को मजबूत करने और राज्य में कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने में मदद करेगा। उन्होंने कहा आपका वही वोट, भ्रष्टाचारी कांग्रेस को एनपी की सरकार से सौ कोस दूर रखेगा। यानी एक वोट, तीन कमाल! उन्होंने कहा कि अभी यहाँ मतदान में इतने दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही झूठ का गुब्बारा फूट गया है। कांग्रेस के पास एनपी के विकास का कोई रोडमैप नहीं है। कांग्रेस के थके-थके चेहरों में एनपी के युवाओं को कोई भविष्य नहीं दिखाता। इसलिए एनपी को भाजपा पर भरोसा है। एनपी को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मैं आजकल जहाँ भी जाता हूँ, वहाँ अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से मेरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार-बार आती है। वो बात मुझे आंदोलित करती रहती है और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती रहती है। वो बात है - राम काज कीन्हें बिनू, मोहि कहल विश्राम... अब उठकना नहीं है, थकना नहीं है।

गरीब ही एकमात्र जाति है तो आप खुद को ओबीसी क्यों कहते हैं?

बीएचयू में पहले पीड़िता से हुआ था दुष्कर्म फिर निर्वस्त्र कर बनाया गया वीडियो

- » शर्मनाक हरकत- बयान के बाद जोड़ी गई धाराएं

वाराणसी। वाराणसी में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। पुलिस ने लंका थाने में दर्ज मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिये यौन उत्पीड़न करने से संबंधित धारा बढ़ाई है। दोनों धाराएं पीड़िता के बयान के आधार पर बढ़ाई गई हैं। आईआईटी बीएचयू की बीटेक की छात्रा के साथ एक नवंबर की रात डेढ़ बजे कर्मन बीर बाबा मंदिर से कुछ दूर बाइक सवार तीन युवकों ने अभद्रता की थी।

एक भी आरोपी नहीं बच पाएगा : कमिश्नर

आईआईटी बीएचयू की छात्रा से छेड़खानी और अभद्रता के मामले में दर्ज मुकदमे की विवेचना लंका थाने के इस्पेक्टर (अपराध) सहजानंद श्रीवास्तव कर रहे थे। दर्ज मुकदमे में आईपीसी की धारा 376 (डी) और 509 की बढोतरी होने के बाद अब मुकदमे की विवेचना लंका थानाध्यक्ष शिवाकांत मिश्र को सौंप दी गई है। छात्रा का कलमबंद बयान पुलिस के साथ ही मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज हो चुका है। बयान के आधार पर धाराएं बढ़ाई गई हैं। वही कमिश्नर ने कहा है कि आरोपी बच नहीं पाएंगे, वह हर हाल में पुलिस की गिरफ्त में आकर जेल जाएंगे।

छात्रा को निर्वस्त्र कर उसका वीडियो बनाया था। छात्रा ने पुलिस को बयान दर्ज कराया है कि आरोपियों ने उसके प्राइवेट पार्ट को भी छुआ था। इसके साथ ही उसे जबरन निर्वस्त्र कर बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की धमकी दी थी। छात्रा के बयान के आधार पर लंका थाने की पुलिस ने दर्ज मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी) और 509 को भी शामिल किया। मुकदमे की विवेचना जारी है। 7 दिन में अपराधियों की पहचान तक नहीं कर पाई पुलिस हालांकि, वारदात के सात दिन पहले बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करना तो दूर उनकी पहचान भी नहीं कर सकी है। इसे लेकर आईआईटी बीएचयू के छात्र-छात्राओं में गुस्सा है।

आशुतोष टंडन का निधन

वर्तमान में लखनऊ पूर्वी सीट से थे बीजेपी विधायक

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे आशुतोष टंडन गोपाल का गुरुवार को निधन हो गया। उनका मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। वह लखनऊ पूर्वी सीट से वर्तमान में बीजेपी विधायक थे। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे उन्हें जुलाई में भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय उन्हें आईसीयू सपोर्ट में भी रखा गया था।

हालांकि उसके बाद उनकी हालत में कुछ सुधार जरूर हुआ था लेकिन फिर तबियत बिगड़ने पर

उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आशुतोष टंडन योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रहे। उनके निधन की जानकारी आशुतोष टंडन के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी दी गई। साइट पर लिखा गया कि गोपाल भड़या हम सबको छोड़ कर चले गये। उनके निधन पर देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं लखनऊ पूर्व के विधायक, आशुतोष टंडन उर्फ 'गोपालजी' के निधन से मुझे गहरा दुःख हुआ। उनका राजनीतिक जीवन लखनऊ वासियों की सेवा में समर्पित था। पार्टी को मजबूती देने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।



आखिर क्यों हर साल इसी समय जहरीली हो जाती है दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने भी दिखाई अब सख्ती, कहा- जल्द करें निवारण

पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाना हुआ आवश्यक

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क


नई दिल्ली। हर साल की तरह इस बार भी एक बार फिर दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। जिसके चलते राजधानी में लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है। खराब होती वायु गुणवत्ता के चलते दिल्ली में अब लोग बीमार भी पड़ने लगे हैं। तो वहीं जिनको पहले से ही फेफड़ों में दिक्कत है, उनके लिए तो दिल्ली किसी काल से कम नहीं रही है। आए दिन दिल्ली की हवा में जहर फैलता जा रहा है और लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी काफी सख्त हो गया है। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की भी सरकारों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को फसल अवशेष जलाने पर 'तत्काल रोक' सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि दिल्ली साल-दर-साल इस स्थिति से नहीं जूझ सकती। बेंच ने पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से कहा कि हर बार राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती। अदालत ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि नगर निगम का ठोस कचरा खुले में न जलाया जाए। उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा कि सरकारें क्या करेंगी, कैसे करेंगी, इससे हमें मतलब नहीं, बस पराली जलाना रुकना चाहिए। उधर, सरकार की ओर से कहा गया कि इस वर्ष पराली जलाने की घटना में 40% की कमी आई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, पराली जलाना पूरी तरह बंद करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के ऐसे हालात कायम नहीं रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, अगर हमने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया तो रुकेंगे नहीं।

जाहिर है कि पराली जलाना दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ने का एक प्रमुख कारण रहा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर काफी सख्ती दिखा रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर हर बार इतने अधिक इंतजाम करने के बाद भी हर वर्ष एक ही समस्या का सामना क्यों करना पड़ता है। आखिर क्या वजह है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से लड़ाई बीते दो दशकों से भी ज्यादा वक्त से जारी है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और सरकारों ने भी महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए हैं। सवाल यह है कि समस्या क्यों अनसुलझी रह गई है?

पंजाब का सुझाव- धान की जगह दूसरी फसल के लिए हो एमएसपी

इस बीच पंजाब के एजी ने सुझाव दिया कि अगर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दें तो किसान धान की जगह दूसरी फसल उगाने लगेंगे। जिस पर कोर्ट ने कहा कि तुरंत कुछ करना होगा। समस्या फसल की टाइमिंग से है। जब तक अगले फसल का समय आए तब तक यह सब हो जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो राज्यों को वैकल्पिक फसलों को अपनाने में मदद करे। कोर्ट ने कहा कि अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर सीधा-सीधा कहें तो अगर कोर्ट का बुलडोजर चलाना शुरू हो गया तो फिर रुकेगा नहीं।



परिवहन, उद्योग व घरों में बड़े पैमाने पर ऊर्जा संयोजन की आवश्यकता

इतने प्रयासों के बाद भी अभी भी कई ऐसे उपाय बचे हुए हैं, अगर जिन्हें कर लिया जाए, तो प्रदूषण के स्तर में और भी कमी आ सकती है। क्योंकि जाहिर है कि प्रदूषण को रोकने के लिए स्वच्छ हवा की आवश्यकता है और स्वच्छ हवा के लक्ष्यों के लिए परिवहन, उद्योग और घरों में बड़े पैमाने पर ऊर्जा संयोजन की आवश्यकता होती है। सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने के लिए मोबिलिटी ट्रांजिशन और कचरा निकलने के सभी स्रोतों को बंद करने के उपाय करने होंगे ताकि कचरों के खुले में जलने और उससे हानिकारक गैस निकलने पर रोक लगाई जा सके। इनमें से प्रत्येक सेक्टर के लिए लक्ष्य पर्याप्त रूप से निर्धारित किए जाने चाहिए, ताकि बुनियादी ढांचे की जरूरतों को परिभाषित किया जा सके, धन जुटाया जा सके और इसे निगरानी योग्य बनाया जा सके। शहर में प्रदूषण बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन का है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स और सर्विसेज पूरी तरह इंटिग्रेटेड नहीं हैं, पैदल चलने और साइकिल चलाने का बुनियादी ढांचा खराब है, वाहनों की संख्या कम करने के उपाय भी नहीं हैं। अक्सर समाधान के ऐसे उपाय नहीं ढूँढे जाते हैं जो पर्याप्त प्रभावशाली हों। हालांकि बसों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन 2017-18 के बाद से प्रतिदिन प्रति बस ले जाने वाले यात्रियों में औसतन 48% की बड़ी गिरावट आई है, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में कहा गया है। शहर लगातार वाहनों की संख्या को कम करने के उपायों से बचता रहा है, जिसमें पार्किंग क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन का अभाव और सरकार की तरफ से तय कीमतें लागू कर पाने में विफलता शामिल हैं। हालांकि



प्राकृतिक गैस का औद्योगिक उपयोग बढ़ गया है, लेकिन नॉन-कॉन्फॉर्मिंग एरियाज में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयों में अभी भी उपयोग किए जाने वाले गंदे ईंधनों को नियंत्रित करने की कोई रणनीति नहीं है। प्राकृतिक गैस को बढ़ावा देते समय इसे कोयले के मुकाबले किरफायती रखने के लिए कोई मूल्य निर्धारण रणनीति नहीं है। सबसे बड़ी बात कि कचरा जलाना एक और ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं ढूँढा जा रहा है। नगरपालिका की गाड़ियां शहर का लगभग 30% कचरा नहीं उठाती हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को उठाया है और दिल्ली सरकार को सख्त निर्देश भी दिया। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण का लक्ष्य 80% कचरे को लैंडफिल से हटाना है। इसके लिए 2026 तक कचरों में शामिल अलग-अलग वस्तुओं को छंटने, रीसाइलिंग करने और कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है जो पूरा होता नहीं दिख रहा है।

लगातार किए जा रहे प्रयास

पहली पीढ़ी की कार्रवाई में सार्वजनिक परिवहन और स्थानीय वाणिज्यिक परिवहन को डीजल से सीएनजी में बड़े पैमाने पर परिवर्तन, 15 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, जिन ट्रकों का गंतव्य शहर नहीं है उन्हें बाईपास करना, प्रत्येक ट्रक के प्रवेश एवं बड़ी डीजल कारों और एसयूवी की खरीद पर प्रदूषण शुल्क लगाना, दिल्ली में बचे जाने वाले डीजल ईंधन पर पर्यावरण उपकर (सेस), और नए वाहनों के लिए भारत चरण ड्यूटी (बीएस 6) उत्सर्जन मानकों को लागू करना शामिल थे। जहरीले डीजल एमिशन में कटौती के इन प्रयासों ने 2014 और 2022 के बीच दिल्ली में डीजल ईंधन की खपत 46% घटा दी है। साथ ही, सभी थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए गए हैं और कानूनी औद्योगिक क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का उपयोग काफी बढ़ गया है। दिल्ली में उन ईंधनों की लिस्ट भी नोटिफाई की गई जिसके उपयोग की अनुमति है। इस वजह से राष्ट्रीय राजधानी में कोयले सहित सभी गंदे ईंधनों पर प्रतिबंध लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए 10 हजार बसों का लक्ष्य निर्धारित किया तो 2020 के बाद से यहां बसों की संख्या बढ़कर 7,041 हो गई है। इसके साथ ही, फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन की शुरुआत (नए बेड़े का लगभग 12% और 3,100 चार्जिंग स्टेशन), उद्योगों में प्राकृतिक गैस का विस्तार और धूल नियंत्रण उपायों को भी लागू किया जा रहा है। इन प्रयासों का सकारात्मक असर भी दिख रहा है। दिल्ली का एक्सपेंडेड रीयल-टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ग्रिड बताता है कि कैसे लॉन्ग टर्म पार्टिकुलेट ट्रेन्ड्स में बदलाव आया है। २.5 स्तर स्थिर हो गए हैं और साल-दर-साल आधार पर नहीं बढ़ रहे हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदूषण के स्तर में लगभग एक चौथाई की कमी के बाद भी २.5 के वार्षिक औसत स्तर में 60% की कमी होगी तब जाकर यह नेशनल एंबिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतर पाएगा। इस कठिन लक्ष्य को नीतिगत कार्रवाई और आम बातचीत का हिस्सा बनाना होगा।

पराली एक प्रमुख समस्या

हर साल जब प्रदूषण का स्तर बढ़ने के दौरान आपातकालीन उपायों को लागू किया जाता है, तब पता चलता है इससे बचने का सिस्टम कितना खराब है। डीजी सेट पर पाबंदी लगा दी जाती है जिससे एक तूफान खड़ा हो जाता है क्योंकि बिजली वितरण कंपनियां दिन-रात बिजली मुहैया करवाती नहीं हैं। वहीं, कारों पर प्रतिबंध इसलिए लगा दिया जाता है जबकि सार्वजनिक परिवहन पर्याप्त नहीं होते हैं। दिल्ली में हवा स्वच्छ रखने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों की पहचान करके कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। केवल दिल्ली-केंद्रित उपाय



मदद नहीं कर सकते। प्रदूषण सीमाओं के पार भी उड़ता है। एनसीआर के चारों राज्यों में पराली जलाने पर प्रतिबंध के इतर प्रदूषण के अन्य प्रमुख स्रोतों पर भी रोक लगानी ही होगी। प्रभावी बदलाव लाना है तो स्थानीय और क्षेत्रीय कार्यों को

लक्ष्य आधारित रणनीतियों, नियमों का कठोरता से पालन, प्रभावी फंडिंग, निगरानी और रिपोर्टिंग जैसे उपाय बहुत जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी पराली जलाने के विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। कोर्ट में आईआईटी, कानपुर की एक स्टडी का हवाला देकर बताया कि प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या-क्या हैं। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की प्रथा पूरी तरह रुकनी चाहिए। आज राज्यों के पास कोई बहाना नहीं बचा है। अगर वो कहते हैं कि उनके पास पराली जलाने की निगरानी के लिए ऐप है तो फिर क्या हुआ? इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि समाधान बताइए। दिल्ली यू ही नहीं घुटती रह सकती है। उन्होंने वकीलों से कहा कि देखिए दिल्ली में कितनी बड़ी संख्या में बच्चे स्वास्थ्य समस्याओं से घिर गए हैं।

